Pc 2 Letter
58

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– 1040 दिनांक :– 20/02/17

आदेश

वृत्त–उदयपुर के अधीन दक्षिण विस्तार योजना एवं सविना द्वितीय योजना में आवासीय भूखण्डों को अति0 मुख्य अभियन्ता–द्वितीय के प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारित किए जाने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतदद्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

कम सं.	आय वर्ग	भूखण्ड संख्या	कुल भूखण्ड
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	A-122 to A-128 A-190 to A-196 A-294 to A-303	24
2.	अल्प आय वर्ग	S-19 (A)	01
		कुल	25

उपरोक्त आवासों को निम्न शर्तों पर नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जावे।

1. आवासीय योजना में आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं हैं।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवारा आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मंडल के आदेशांक राजस्व/11/2014–15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हो।
5. आवास आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेश माननीय आवासन आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा पैरा 33/एन पर अनुमोदित है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, रा.आ.मंडल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.) प्रथम/ द्वितीय/ निदेशक (विधि)/मुख्य संपदा प्रबंधक, रा.आ.मंडल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त–उदयपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–उदयपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर।
8. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. प्रभारी नागरीक सेवा केन्द्र, मुख्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेब–साईट पर अपलोड व सभी को ई–मेल करे।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक